संचिका सं0–17/वासभूमि (अभियान बसेरा)–03/2023–.....624/T (17)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 04/05/2023

विषय :– **राज्य अन्तर्गत गृहविहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा–2 प्रारंभ करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यान्तर्गत गृहविहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु संप्रति अभियान बसेरा कार्यक्रम संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभी भी 21597 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है।

उपर्युक्त संचालित अभियान बसेरा कार्यक्रम को नए तरीके से शुरू किये जाने हेतु निम्नलिखित निदेश संसूचित किए जाते हैं :–

1. वर्ष 2014–15 में प्रारंभ की गई अभियान बसेरा के वर्ष 2022–23 तक के वासभूमि हेतु सर्वेक्षित परिवारों एवं लाभार्थियों का अपने जिला का एक अंतिम आँकड़ा विभाग को निम्न तालिका में भेजें

(31.03.2023 तक)

श्रेणी	कुल	महादलित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनूसची–I	अनुसूची–II
सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों की संख्या						
भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की सं0						
शेष भूमिहीन परिवारों की संख्या						

एवं सूची को ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध करें (प्रपत्र संलग्न है)।

2. 01.04.2023 के पूर्व के सभी अवशेष सर्वेक्षित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह दिसम्बर तक वासभूमि उपलब्ध करा दिया जाय तथा लाभार्थियों को वासभूमि उपलब्ध कराते हुये यह प्रक्रिया मोबाईल ऐप के माध्यम से अद्यतन की जाय।

3. विभिन्न स्त्रोंतो से सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि अभियान बसेरा अन्तर्गत पूर्व में सर्वेक्षित वासभूमिहीन परिवारों के अतिरिक्त अभी भी राज्य में अनेक वासभूमि विहीन परिवार हैं। अतः उक्त सुयोग्य श्रेणी के परिवारों का पुनः सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है।

अतः अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि विहीन परिवारों का नये सिरे से सर्वेक्षण करने एवं उन्हें वासभूमि उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस अभियान में बसेरा–2 कार्यक्रम में नये परिवारों का सर्वेक्षण राजस्व कर्मचारी ऐप के माध्यम से किया जायगा तथा उन

परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। अभियान बसेरा–2 अंतर्गत गृहविहीन परिवारों के सर्वेक्षण का कार्य 30 जून 2023 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत निम्न कार्रवाईयाँ सभी जिलों में अविलंब प्रारंभ कर दी जायः–

(i) जिन वासहीन परिवारों को बिहार प्रश्रय प्राप्त गृह स्थल रैयती अधिनियम (BPPHT Act) के अन्तर्गत जमीन का पर्चा देय हो, सर्वप्रथम उन परिवारों को इस अभियान के अन्तर्गत पर्चा का वितरण किया जायेगा।

(ii) जिन्हें उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वास भूमि का पर्चा देय नहीं हो, उन्हें उपलब्ध गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती एतद् विषयक पूर्व निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी। यह बन्दोबस्ती वासभूमि के लिए अधिकतम पाँच डिसमिल प्रति परिवार की दर से होगी।

(iii) यदि उपरोक्त दोनों माध्यम से वासविहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो तो रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 एवं विभागीय पत्रांक–153 (8) दिनांक–09.02.2015 के अनुसार वास योग्य अधिकतम 5 डिसमिल भूमि क्रय नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) यह महत्वपूर्ण होगा कि जिन्हें भी गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम अथवा क्रय कर भूमि उपलब्ध करायी जाएगी, वह भूमि वास योग्य भूमि होनी चाहिए अर्थात् वहाँ गड्ढा, नाला आदि नहीं होना चाहिए। साथ ही वह भूमि आबादी से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि कलस्टर में कई परिवारों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाय। उक्त भूमि तक पहुँचने के लिए यदि संपर्क सड़क न हो तो सड़क का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो कम्यूनिटी हॉल एवं सामुदायिक चबुतरे के लिए आस–पास जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सामुदायिक गतिविधियाँ संचालित करने में कठिनाई नहीं हो।

(v) जिन जमीनों को आवंटित किया जायेगा, लाभुकों के समक्ष उनकी मापी कर बन्दोबस्ती पर्चा उक्त जमीन के नक्शे, (चौहद्दी सहित) एवं जमाबंदी कायम कर लगान रसीद के साथ लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय तथा मोबाईल ऐप के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाय।

(vi) यह देखा गया है कि कई मामलों में पर्चा तो दे दिया जाता है, परन्तु उसका भौतिक कब्जा लाभुकों को नहीं मिलता है। इस कारण भविष्य में विवाद की संभावना रहती है। अतएव यह आवश्यक होगा कि जो जमीन बंदोबस्त की जाय वह विवाद रहित हो एवं लाभुकों को दिए जाने वाले जमीन के नक्शे में चारों दिशा की चौहद्दी अंकित कर उसमें सभी रैयतों के नाम दर्ज किये जाय।

(vii) रैयती भूमि क्रय के संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति है कि भूमि का क्रय वसने वाले परिवारों की सहमति से किया जाय। अतएव भूमि चयन के उपरांत अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता स्वयं स्थल निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे कि भूमि वास योग्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता उपलब्ध है तथा भूमि विवाद रहित है। यदि कलस्टर में भूमि बन्दोबस्ती या क्रय की जा रही हो तो नये टोले तक संपर्क सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क की व्यवस्था की जायेगी। कलस्टर में आन्तरिक आवागमन की व्यवस्था तथा किसी सरकारी योजना से पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था निश्चित रूप से

सुनिश्चित की जाय। साथ ही यदि भूमि उपलब्ध हो तो चबुतरा/सामुदायिक भवन हेतु भी भूमि कर्णांकित की जाय।

(viii) अभियान बसेरा के अन्तर्गत विशेष कैम्पों का आयोजन कर लाभुकों के बीच जमीन का वितरण किया जायेगा। उन कैम्पों के यथानुसार स्थानीय जन–प्रतिनिधि, जिले के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव एवं जिले के प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया जायेगा।

5. अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम में गृहविहीन परिवारों का सघन सर्वेक्षण कराने तथा इस कार्यक्रम के संचालन हेतु मोबाईल ऐप विकसित किया गया है, जो राजस्व कर्मचारी ऐप के माध्यम से कार्यरत है। सर्वप्रथम पूर्व की प्रतीक्षा सूची की इन्ट्री ऑनलाइन पोर्टल में की जायेगी। तत्पश्चात् ऐप के माध्यम से नया सर्वे किया जायेगा। उक्त के संबंध में राजस्व कर्मचारियों को ट्रेनिंग मैनुअल/विडियो के माध्यम से प्रशिक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है।

राजस्व कर्मचारी द्वारा मोबाईल अप्लीकेशन के माध्यम से गृहविहीनों को सर्वेक्षित करने तथा गृहविहीनों से प्राप्त आवेदन का सत्यापन करने का प्रावधान किया गया है। राजस्व कर्मचारी द्वारा इस क्रम में निम्नांकित जानकारी प्राप्त कर मोबाईल अप्लीकेशन में प्रविष्टि की जायेगी :–

(i) लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का नाम, पिता का नाम, उनके परिवार की कोटि, मौजा, अंचल एवं जिला का नाम तथा उनका स्थायी पता।

(ii) लाभार्थी एवं उनके पति/पत्नी तथा उनके परिवार के सदस्यों का आधार संख्या एवं उनका उम्र तथा लाभार्थी से उनका संबंध।

(iii) लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का मोबाईल नं0

(iv) फोटोग्राफ :– वर्तमान पारिवारिक फोटो Geo Loc के साथ

(v) शपथ–पत्र :– लाभार्थी को पूर्व में भूमि आवंटित नहीं की गई है, इस आशय का लाभार्थी से शपथ–पत्र।

मोबाईल अप्लीकेशन में ही भूमि आवंटन के उपरांत लाभार्थी (पति/पत्नी/या दोनों) का फोटो, उनका आधार, Geo Tagging तथा आवंटित भूमि का पर्चा अपलोड किया जाना है। सर्वेक्षण के उपरान्त भूमि आवंटित करते समय निम्नलिखित जानकारी मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रविष्ट की जायेगी।

(i) भूमि की कोटि
(ii) खाता संख्या
(iii) खेसरा संख्या
(iv) रकवा
(v) चौहद्दी
(vi) आवंटित भूमि पर पारिवारिक चित्र
(vii) आवंटित भूमि GEO LOCATION
(viii) पर्चा का फोटो
(ix) जमाबंदी का फोटो

उपर्युक्त दिशा–निदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाय।

अनु0–यथावत्।

विश्वास भाजन,

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
अपर मुख्य सचिव।
4/5/23

ज्ञापांक–17/वासभूमि (अभियान बसेरा)–03/2023– 624 (17)/रा0, पटना–15, दिनांक– 04/05/2023

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलों के प्रभारी सचिव एवं प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 4/5/23
अपर मुख्य सचिव।

Prapatra

Abhiyan Basera Beneficiary Details															
Landless Family Survey Details															
Sl NO	District	Circle	Mauja	Beneficiary Name	Beneficiary Adhaar No	Beneficiary Spouce Name	Spouce Adhaar No	Father Name	Father Adhaar No	Details of each Member of Family	Mobile No	Family Category	Current Location	Current Location Family Pic with Geo Loc	Declaration That He/She was never Alloted Land Before
										Name Relation Age		Mahadalit			
												SC			
												ST			
												BC-I			
												BC-II			

Land Allotment Details

	Land Details												
Land Category	Khata No	Khasra No	Rakba (in Dec)	North	South	East	West	Family Photo On Alloted Land	Alloted Land Geo Location	Pancha Photo	Upload Jamabandi Photo	Remarks	Updated On
Kray Niti													
BPPHT													
Gair Majarua Aam													
Land Ceiling													
Gair Majarua Khas													
Bhudaan													